पत्रांक–भवन/मु0अभि0(द0)यो0–विविध–8–550/2013....8205 (नि)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

लक्ष्मी नारायण दास,
अभियंता प्रमुख।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित), भवन निर्माण विभाग।
सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित), भवन निर्माण विभाग।
सभी कार्यपालक अभियन्ता (विद्युत सहित), भवन निर्माण विभाग।

पटना, दिनांक 11/9/17

विषयः– भवन अनुरक्षण एवं मरम्मति/परिवर्तन–परिवर्द्धन/मौलिक कार्यों से संबंधित दिशा–निर्देश।

महाशय,

निदेशानुसार भवन निर्माण विभाग के कार्यों के सम्यक नियंत्रण के उद्देश्य से मंत्रिमंडल निगरानी विभाग/भवन निर्माण विभाग द्वारा समय–समय पर निर्देश निर्गत किये गये हैं। सभी स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा इन निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाय। इसके अतिरिक्त कुछ नए निर्देश भी निर्गत किये जा रहे हैं जो भवन कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हैं:–

2. सरकारी अधिकारियों के आवास में मरम्मति एवं अनुरक्षण कार्य आवश्यकतानुसार कराया जाएगा।

2.1. निम्नलिखित कार्य अनुमान्य नहीं होंगे:–

2.1.1 वाकिंग ट्रैक का नया निर्माण।

2.1.2 महाराजा गेट का निर्माण।

2.1.3 अतिरिक्त रसोईघर तथा अतिरिक्त भोजनकक्ष का निर्माण।

2.1.4 आवास एवं सर्वेन्ट्स आवास के बीच घेराबन्दी हेतु बाँस, लकड़ी, चिकेन मेस इत्यादि का प्रयोग करना।

2.1.5 आवासों में तालाब का निर्माण, आउट हाउस में टाईल्स (फर्श या दिवाल) सामान्यतः अनुमान्य नहीं होगा।

2.1.6 हरित स्थानों पर अनावश्यक टाईल्स नहीं लगाया जा सकेगा।

2.1.7 नया फॉल्स सिलिंग का कार्य नहीं कराया जा सकेगा।

2.1.8 किसी भी प्रकार के टाईल्स का लाईफ साईकिल (5 वर्ष) पूर्ण होने तक परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

2.1.9 आवासीय उद्यान में एक्जॉटिक (Exotic) लाईट नही लगाया जाना है।

2.1.10 आवास में कन्जुमुबेबल विद्युत उपकरण यथा बल्ब, ट्यूबलाईट, फैन आदि का वहन आवासीय द्वारा स्वयं वहन करना होगा।

2.1.11 एक आवास में वार्डरोब के निर्माण हेतु 1.00 लाख से अधिक का व्यय अनुमान्य नहीं होगा।

2.1.12 अति आवश्यक होने पर ही स्वच्छताधिष्ठापन कार्य हेतु प्रयुक्त सामग्री (फिटिंग्स एवं फिक्सचर्स) को परिवर्त्तित किया जा सकता है।

2.1.13 आवास में किसी प्रकार का उडेन फ्लोरिंग एवं उडेन पैनलिंग अनुमान्य नहीं होगा।

2.1.14 भवनों के रंगाई–पोताई में समय–समय पर निर्धारित अनुसूचित दर के मापदण्ड पर कार्य करना होगा। अन्य किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कार्य अनुमान्य नहीं होगा।

3. लघु निर्माण, परिवर्त्तन एवं परिवर्द्धन कार्य:–

3.1 मौलिक प्रकृति के कार्य जिसमें भवन में कमरा बढ़ाना, चाहरदिवारी का निर्माण आदि भी आते हैं, किसी भी दशा में मरम्मति एवं अनुरक्षण मद से नहीं होंगे।

3.2 स्वतंत्र भवनों के परिसर में आउट हाउस अतिरिक्त गैरेज, अतिरिक्त सर्वेन्टस क्वार्टर का निर्माण बिना सरकार की अनुमति के नहीं किया जायेगा। (भवन निर्माण विभाग के पत्र संख्या 1878 दिनांक 14.05.1987)।

3.3 लोक निर्माण लेखा संहिता के अपेन्डिक्स–2 की कंडिका–35 में स्पष्ट निर्देश है कि नई राजधानी क्षेत्र, पटना के आवासों में किसी प्रकार का परिवर्त्तन/परिवर्द्धन मुख्य वास्तुविद द्वारा अनुमोदित नक्शे पर किया जाएगा तथा इसका प्राक्कलन अधीक्षण अभियंता द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य होगा। इन कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद ही प्रारम्भ किया जाएगा। (बिहार वित्तीय नियमावली का नियम 201 द्रष्टव्य।)

उपरोक्त परिवर्तन/परिवर्द्धन का सैद्धान्तिक अनुमोदन सरकार से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

3.4 किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्द्धन का कार्य, बिना सरकार के अनुमोदन कराने पर, इसकी पूरी लागत आवासी को वहन करना पड़ेगा।

3.5 सामान्य श्रेणी के आवंटियों के लिए परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु विहित आवेदन प्रपत्र में देना होगा।

3.6 चाहरदिवारी एवं गार्ड शेड, संतरी पोस्ट अथवा ग्रिल आदि निर्माण कार्य आवश्यकतानुसार गृह विभाग/सुरक्षा एजेंसी की अनुशंसा पर ही होगा।

3.7 चाहरदिवारी की ऊँचाई बढ़ाने का कार्य सुरक्षा एजेंसी की अनुशंसा पर चचरी से किया जायेगा।

3.8 बगैर सुरक्षा एजेंसी की अनुशंसा के आवासी द्वारा माँग करने पर चाहरदिवारी का निर्माण/ऊँचा करने की पूर्ण लागत को आवासी द्वारा वहन करना होगा।

3.9 पूर्व निर्मित भवन के बाह्य वास्तुविदीय संरचना को अक्षुण्ण रखा जाना चाहिए तथा कोई भी अतिरिक्त संरचना का निर्माण का अनुमति नहीं होनी चाहिए।

3.10 पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए रंग–रोगन हेतु रंगों का चयन वास्तुविदीय उपस्था[illegible] द्वारा निर्धारित किया जाय।

3.11 चहारदीवारी तथा गेट का निर्माण सुरक्षा तथा स्थल को ध्यान में रखते हुए किया जाय।

3.12 आवासीय परिसर में स्थित पेड़ों को नहीं काटा जाना चाहिए तथा अधिक पेड़ लगाने हेतु ध्यान दिया जाना चाहिये।

4 विशेष मामलों तथा आपातकालीन परिस्थितियों के लिए शेष राशि विभाग में सुरक्षित रखी जायगी। इसका व्यय विभागीय स्वीकृति से आवंटन मिलने पर किया जायेगा। इसी राशि से आवासीय एवं गैर आवासीय परिसरों के आन्तरिक पथों/नालियों के निर्माण हेतु आवंटन दिया जाएगा। इस सुरक्षित निधि से आवंटन प्राप्त करने के लिए कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता द्वारा सभी सुसंगत सूचना फोटोग्राफ के साथ प्रस्ताव उचित माध्यम से भेजा जाएगा।

उपरोक्त के आलोक में ही किसी भी पदाधिकारी के आवास में अनुरक्षण,परिवर्त्तन/परिवर्द्धन का कार्य करेंगे किया जाएगा।

उपरोक्त निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाए।

इस पर माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

दिनांक 6/10/17

विश्वासभाजन

(लक्ष्मी नारायण दास)

प्रमुख।